

बउनवान

सरकार जयें संदीप झांकल, प्रवर्तन अधिकरी, (छबड़ा)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री प्रकाश राव पुत्र श्री रामचरण, निवासी इन्द्र कॉलोनी छबड़ा, जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :- 1. पेरोकार रसद

(प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 16.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी ईदगाह चौराहा छबड़ा स्थित किसान रेस्टोरेंट पर पहुंचे मौके पर श्री प्रकाश राव पुत्र श्री रामचरण, निवासी इन्द्रा कॉलोनी छबड़ा, जिला बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स निधि एचपी गैस एजेन्सी छबड़ा की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ईदगाह चौराहा छबड़ा पर किराये की छोटी सी दुकान लगाकर उस पर कचौरी,समोसा आदि का व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार का पेट पालन करता आ रहा है इसके अलावा आय का कोई जरिया नहीं है। प्रार्थी उक्त दुकान पर कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर लगाकर ही अपना व्यवसाय करता चला आ रहा है और उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग नहीं किया है। प्रार्थी की दुकान के बाहर एक गैस सिलेण्डर घर का रखा हुआ था जो खाली था उसे वक्त निरीक्षण जब्त कर लिया गया। अतः प्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमावें तथा प्रार्थी का जब्तशुदा सिलेण्डर वापस दिलावें।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी स्वयं की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा एक गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस के दौरान अप्रार्थी स्वयं ने कथन किया कि प्रार्थी ईदगाह चौराहा छबड़ा में दुकान लगाता है जिस पर प्रार्थी कचौरी, समोसा आदि का व्यवसाय कर अपने परिवार का




जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न करता आ रहा है इसके अलावा आय का कोई जरिया नहीं है। प्रार्थी भविष्य में कभी भी गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक हेतु नहीं करेगा उक्त गलती के लिये प्रार्थी क्षमाप्रार्थी अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी की दुकान से जब्त किया गया गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने बहस के दौरान स्वयं घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 576601, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/- रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नहीं लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स निधि एचपी गैस एजेन्सी छबड़ा को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
(रेहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर
बारां (राजस्थान)